Monthly Journal

ISSN:3048-5541(ONLINE)

Writers Crew International Research Journal

Volume-1 Issue-3 May 2024

A Monthly International Multidisciplinary Research Journal

Double-Blind | Peer Reviewed | Refereed Journal

https://wcirj.com/index.php/home/about

Editor.writerscrew@gmail.com

Editor-in-chief
Dr. Neeraj Tiwari

अमेरिका एवं भारत में संघवाद : एक तुलनात्मक अध्ययन

डॉ0 अमित कुमार उपाध्याय[1], नागेन्द्र पाण्डेय[2]
1. सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर।
2. शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर।

सारांश :

यह शोध कार्य भारत एवं अमेरिका में संघवाद के तुलनात्मक अध्ययन पर केन्द्रित है। यह शोध पत्र भारत व अमेरिका की संघीय स्थिति का विश्लेषण करता है। अमेरिका और भारत दोनों देशों का एक लिखित संविधान है, जिसके आधार पर संघीय राजनीतिक ढ़ांचा स्थापित किया गया है और दोनों देशों के अन्दर संघीय सरकारें कार्य कर रही है। दोनों संविधानों में अपने–अपने देशों की बढ़ती सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जरूरतों एवं मांगों को पूरा करने के लिए संविधान में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। साधारणतया अमेरिकी संघ को एक माडल मानते हुए भारतीय संविधान के स्वरूप को जाँचा जाता है और उस सन्दर्भ में यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि भारत का संविधान अमेरिका की संघीय योजना से भिन्न है, अतः उसे एक शुद्ध संघ नहीं माना जा सकता। अमेरिकी संघ केन्द्रामिमुखी शक्तियों का परिणाम है, अर्थात् अमेरिका में संघीय सरकार का निर्माण कुछ स्वतंत्र राज्यों के द्वारा किया गया था। अतः राज्यों के लिए यह स्वभाविक था कि वह केन्द्र सरकार को, जिसे वह स्वयं जन्म दे रहे थे, न्यूनतम शक्तियाँ दे और ज्यादा से ज्यादा शक्तियाँ अपने पास ही सुरक्षित रखे। इसके विपरीत भारत में संघ सरकार की स्थापना केन्द्र–विमुखी शक्तियों द्वारा हुई। इसलिए केन्द्र सरकार के लिए अपने पास अधिक शक्तियाँ रखना स्वभाविक था। यह पत्र दोनों देशों के संघीय ढ़ाचे के बीच तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास करेगा।

मुख्य शब्द : संघवाद, संविधान, संशोधन, शुद्ध संघ, केन्द्राभिमुखी, केन्द्र–विमुखी, सरकार।

प्रस्तावना :

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत विश्व के सबसे बड़े, लोकतांत्रिक देश है और संघवाद की अपनी संवैधानिक प्रणाली पर ध्यान केन्द्रित करते है। डॉ0 अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति के दौरान, भारतीय संविधान की कल्पना अमेरिका जैसी दुनिया की कई उत्कृष्ट विशेषताओं के साथ की गई थी, लेकिन इसे भारतीय अर्थ में अपनाया गया था। भारतीय संविधान की स्थापना की गई। अमेरिका और भारत दोनों राज्य संघीय प्रणाली वाले राज्य है, दोनों के बीच कई समानताएं एवं असमानताएं है।

संघवाद शब्द का अर्थ :

संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शासन सत्ता केन्द्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित होती है। एक संघ में सरकार के दो स्तर होते है। एक है पूरे देश की सरकार जो सामान्य राष्ट्रीय हित के कुछ विषयों के प्रति उत्तरदायी है, जबकि अन्य प्रान्तों या राज्यों के स्तर पर सरकारें है जो अपने राज्य के प्रशासन के दिन–प्रतिदिन की अधिकांश कार्यों को करती है।[1]

संघों की तुलना एकात्मक राज्यों से की जाती है। केन्द्रीय शासन और उसकी इकाइयों के बीच जो आपसी सम्बन्ध होता है उसी के अनुसार एकात्मक तथा संघात्मक सरकारों का संगठन होता है। जिस शासन–व्यवस्था में प्रांतीय शासन अपने अस्तित्व के लिए केन्द्रीय शासन पर निर्भर रहता है वह एकात्मक शासन कहलाता है। लेकिन संघात्मक शासन में विभिन्न इकाइयां अपने अस्तित्व के लिए केन्द्रीय सरकार पर आश्रित नहीं रहती। इसमें संघ और इकाइयों के कार्यक्षेत्र का स्पष्ट बँटवारा रहता है। एकात्मक और संघात्मक सरकारों में एक अन्य अंतर यह है कि जहाँ एकात्मक शासन में शक्ति का संचालन एक केन्द्रीय सत्ता द्वारा होता है वही संघात्मक सरकार में शासन–सत्ता केन्द्र तथा इकाइयों के बीच विभाजित होती है। किसी राष्ट्र में

संघवाद एक संवैधानिक संरचना है जो आमतौर पर कई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों के परिणामस्वरूप प्रत्यायोजित शक्तियों और भूमिकाओं के साथ सरकार के दो स्तर स्थापित करती है। संघवाद किसी राष्ट्र के शासन के लिए एक गतिशील सरकारी संरचना है। यह कई स्वतंत्र, अलग और असमान निकायों या प्रशासनिक इकाइयों को एक एकल राजनीतिक संघ से जोड़ता है। यह केन्द्रीय बिन्दु पर सत्ता के संकेन्द्रण के लिए लड़ने वाली शक्तियों और विभिन्न इकाइयों में सत्ता के फैलाव का समर्थन करने वाली ताकतों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। इस प्रकार संघवाद बहुलता के साथ एकता, विकेन्द्रीकरण के साथ केन्द्रीकरण और स्थानीयता के साथ राष्ट्रवाद का सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में संघवाद :

अमेरिकी संविधान में संघीय व्यवस्था उसकी अभूतपूर्व उपलब्धि है। प्रो0 स्ट्रॉंग ने कहा है, ''संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान संसार में सर्वाधिक संघीय है।''

डॉ0 फाइनर ने लिखा है, ''आधुनिक राज्यों में संघवाद का सिद्धान्त और व्यवहार अमेरिकी संघ राज्य से, जिसका जन्म 1787 ई0 में हुआ था, अधिक प्राचीन नहीं है।''

अमेरिका की वर्तमान संघात्मक व्यवस्था के पूर्व वहाँ राज्यमण्डल था, जिसकी धाराओं को 1871 ई0 में अपनाया गया था। इसके अन्तर्गत 13 राज्य थे, जो स्वतंत्र थे और जिन्हें सार्वभौमिकता प्राप्त थी। लेकिन, यह राज्यमण्डल एक ढ़ीला–ढ़ाला संगठन था, जिसके सम्बन्ध में बुडरो विल्सन ने कहा है कि यह राज्यमण्डल बालू की एक रस्सी की तरह था। यह रस्सी राज्यों को सुदृढ़ता से बांध नहीं सकती थी। अतः फिलाडेल्फिया–सम्मेलन में उपस्थित संविधान–निर्माताओं ने एक शक्तिशाली तथा दृढ़ राष्ट्रीय सरकार की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने एक संघ की स्थापना की और पिछले

राज्यमण्डल की तुलना में संघीय सरकार को अधिक मजबूत बनाया। अमेरिकी संघ का निर्माण 'सम्मिलन की प्रक्रिया' से हुआ, अर्थात् कुछ स्वतंत्र राज्यों ने समान विषयों के संपादन के लिए एक केन्द्रीय सरकार की स्थापना की और उसे कुछ क्षेत्रों में सार्वभौमिकता प्रदान की। आस्ट्रेलिया और स्विट्रलैण्ड के संघों का निर्माण भी सम्मिलन की प्रक्रियाओं से हुआ है। लेकिन, इसके विपरीत कनाडा और भारत में संघ का निर्माण पृथक्करण की प्रक्रिया से हुआ है, अर्थात् इन राज्यों में एकात्मक राज्यों को तोड़कर कुछ स्वतंत्र इकाइयाँ बनाई गई और उन्हें कुछ विषय देकर स्वतंत्र अधिकार–क्षेत्र प्रदान किया गया। सोवियत रूस के संघ का भी निर्माण इसी प्रकार से हुआ है।[2] अमेरिकी संविधान में संघीय व्यवस्था के तत्व स्पष्ट रूप से सामने आते है जिन्हें निम्न रूप में रखा जा सकता है–

द्वैध शासन–व्यवस्था :

दोहरी शासन–व्यवस्था संघीय सरकार की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें दो प्रकार की सरकारें और दोहरे शासन–यंत्र होते है। अमेरिका में भी दो प्रकार की सरकारें है–संघ सरकार और राज्य सरकार। शुरू में अमेरिका में सिर्फ 13 राज्य थे, लेकिन उनकी संख्या आज 50 है, अमेरिकी संविधान एक सतत संघ संविधान है, क्योंकि इसके संघीय व्यवस्था के स्वरूप को समाप्त नहीं किया जा सकता और न ही किसी राज्य के अस्तित्व को ही मिटाया जा सकता है।

शक्तियों का वितरण :

संघीय शासन के अन्तर्गत संविधान द्वारा केन्द्रीय सरकारें एवं गणराज्यों की सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया गया है। शक्ति विभाजन के सम्बन्ध में अमेरिकी संविधान के अन्तर्गत गणना एवं अवशेष के सिद्धान्त को अपनाया गया है। संविधान के अन्तर्गत केन्द्र की शक्तियों को लिपिबद्ध कर दिया गया है और शेष शक्तियाँ राज्य सरकार को प्रदान कर दी गई है।

संविधान की सर्वोच्चता :

अमेरिका का संविधान लिखित है तथा वह देश का सर्वोच्च कानून है। अनुच्छेद–6 के अन्तर्गत कहा गया है कि यह संविधान और इसके अनुसार बनाए गए सभी कानून तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकार के अन्तर्गत की गई या भविष्य में की जाने वाली सभी सन्धियाँ, देश के सर्वोच्च कानून होंगे और प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश उससे बाध्य होंगे।[3]

स्वतंत्र न्यायपालिका :

संघ और राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों के निर्णय के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक होता है। केन्द्र का शासन, राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण न कर ले इसके लिए अमेरिका में सशक्त और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रक्षा की व्यवस्था की गई है। मार्बरी बनाम मैडिसन 1803 ई0 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक सर्वोच्चता की प्रतिबद्धता स्पष्ट करते हुए कहा था कि अमेरिकी न्यायालयों के पास उन कानूनों और विधियों को रद्द करने की शक्ति है जो उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का उल्लंघन करने वाले लगते है।

दोहरी नागरिकता :

दोहरी नागरिकता को सामान्यतः संघीय व्यवस्था का एक तत्व समझा जाता है, जिसका तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को केन्द्रीय सरकार का तथा उस इकाई सरकार का नागरिक होगा जिसमें वह रहता है। अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है। वहाँ प्रत्येक व्यक्ति को दोहरी नागरिकता प्राप्त है, प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका की, द्वितीय उस राज्य की नागरिकता जिसमें वह निवास करता है।

संघीय विधायिका के द्वितीय सदन में इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व :

संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में इकाइयों के समान प्रतिनिधित्व को रखाा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन का नाम सीनेट है जिसमें 100 सदस्य है और यहां 50 गणराज्य है प्रत्येक राज्य से दो–दो सदस्य चुने जाते है। सीनेट का गठन राज्य विधानमण्डलों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होता था। इस तरह केन्द्रीय सरकार कुछ हद तक राज्य सरकारों पर निर्भर थी। यह रीति 1913 तक बनी रही। इस व्यवस्था के बावजूद 1787 से 1913 तक अमेरिका का संविधान संघात्मक ही बना रहा, क्योंकि उसमें संघीय सिद्धान्त की ही प्रधानता थी।[4]

1970 के दशक में अमेरिका नए संघवाद की ओर बढ़ा, जिससे अमेरिकी संघीय सरकार को शक्तिशाली हो गई है। इन तथ्यों के आलोक में के0सी व्हीयर ने संयुक्त राज्य अमेरिका को 'आदर्श संघ' की संज्ञा दी है।[5]

भारत में संघवाद :

भारतीय सन्दर्भ में संघवाद की अवधारणा एक अलग तरह की संघीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि भारतीय संविधान में कहीं पर भी 'संघ' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। परन्तु भारतीय शासन व्यवस्था को संघीय व्यवस्था रूप में जाना जाता है जिस पर विभिन्न विद्वानों ने अपना अलग–अलग मत दिया है।

के0सी0 व्हीयर का मानना है कि भारतीय संविधान मूलत : एकात्मक राज्य जिसमें संघीय विशेषताएँ नाम मात्र की है, भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है। इसए व्हीयर ने भारतीय संविधान को 'अर्द्धसंघात्मक' संविधान कहा है। डी0डी0 बसु का मत है कि भारत का संविधान न तो पूर्ण रूप से एकात्मक है और न ही पूर्ण रूप से संघात्मक, बल्कि दोनों का सम्मिश्रण है।[6] ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार भारतीय संघ एक सहकारी संघ

व्यवस्था है।[7] इसी प्रकार मौरिस जोन्स ने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा है।[8]

उपर्युक्त विद्वानों की परिभाषाओं से स्पष्ट है कि भारतीय संघ की अवधारणा को लेकर संघीय व्यवस्था पर अलग–अलग दृष्टिकोण देखने को मिलता है।

1919 में शुरू हुई केन्द्रीय सरकार से प्रान्तीय सरकारों को शक्तियों का हस्तांतरण किया गया। साम्प्रदायिक उन्मादों और देशी राजाओं के अधिकारों को समाहित करने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू समिति की रिपोर्ट में संघ की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 केवल देशी रियासतों के सम्बन्ध में संघ स्थापित करना चाहता था। प्रान्तों के सम्बन्ध में प्रांतीय स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए केवल शक्तियों के हस्तांतरण की बात की थी। यहाँ तक कि यह भी आंशिक था बाकी शक्तियाँ गवर्नर जनरल के हाथों में थी। देशी रियासते ब्रिटिश भारत में शामिल नहीं हुई और संघीय योजना शुरू ही नहीं हो सकी।

भारत, क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से अत्यधिक विशाल और बहुत अधिक विविधताओं से परिपूर्ण है, ऐसी स्थिति में भारत के लिए संघात्मक शासन व्यवस्था को ही अपनाना स्वाभाविक था और भारतीय संविधान के द्वारा ऐसा ही किया गया है। भारत के प्रथम अनुच्छेद में यह कहा गया है कि ''भारत, राज्यों का एक संघ होगा।'' लेकिन संविधान–निर्माताओं ने संघीय शासन को अपनाते हुए भी भारतीय संध व्यवस्था की दुर्बलताओं को दूर रखने के लिए उत्सुक थे और इस कारण भारत के संघीय शासन में एकात्मक शासन के कुछ लक्षणों को अपना लिया गया है। वास्तव में, भारतीय संविधान में संघीय–शासन के लक्षण प्रमुख रूप से तथा एकात्मक शासन के लक्षण गौण रूप से विद्यमान है।

भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण :

भारतीय संघ व्यवस्था में संघात्मक शासन के निम्न लक्षण पाये जाते है–

संविधान की सर्वोच्चता : भारतीय संविधान इस देश का सर्वोच्च कानून है। इस संविधान की व्यस्थाएँ केन्द्रीय सरकार और सभी राज्य सरकारों पर बन्धनकारी है और किसी भी सरकार द्वारा इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इस देश में कोई भी शक्ति संविधान से ऊपर नहीं है। भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। संविधान के मूल रूप में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 7, कनाडा के संविधान में 147, आस्ट्रेलिया के संविधान में 128, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 तथा स्विट्जरलैण्ड के संविधान में 123 अनुच्छेद है।

संविधान के द्वारा केन्द्रीय सरकार और इकाईयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन :

विश्व के अन्य संघात्मक संविधानों की तरह भारतीय संविधान में भी संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ सूची में 97 विषय है, लगभग सभी विषय राष्ट्रीय महत्व के है। संसद इस सूची में वर्णित लगभग सभी विषयों पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति रखती है। राज्य सूची के विषयों की संख्या 66 है ये विषय सामान्य परिस्थितियों में राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र मे ंहै। समवर्ती सूची में 47 विषय है जिन पर कानून बनाने का अधिकार केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों को दिया गया है।[9]

लिखित और कठोर संविधान :

भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है और संविधान में संशोधन की दृष्टि से कठोर भी है, क्योंकि इस संविधन में साधारण कानून बनाने की पद्धति के आधार पर परविर्तन किया जा सकता है। संविधान के जो उपबन्ध संघ

व्यवस्था से सम्बन्ध रखते है, उनमें राज्य सरकार की सहमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन की प्रथम प्रक्रिया (संसद के बहुमत द्वारा संशोधन) यद्यपि संविधान की सुपरिवर्तनशीलता की द्योतक है, तथा शेष दोनों प्रक्रियाएँ (संसद के विशेष बहुमत वाली तथा संसद के विशेष बहुमत के साथ ही आधे राज्यों की स्वीकृति वाली) संविधान की दुष्परिवर्तनशीलता को प्रकट करती है।

स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय :

भारतीय संविधान के द्वारा संविधान के संरक्षण के रूप में कार्य करने के लिए एक स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गयी है। संघीय संसद या राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा पारित किसी भी ऐसे कानून को अवैधानिक घोषित करने का अधिकार प्राप्त है जो संविधान की व्यवस्थाओं के विरूद्ध हो।[10] एस0आर0 बोम्मई बनाम भारत संघ, 1994 के फैसले में भारतीय संघवाद का समर्थन किया है। संविधान की उपर्युक्त व्यवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान एक पूर्ण संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है इन्हीं लक्षणों के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान को संघात्मक कहा है।

एक तुलनात्मक विश्लेषण :

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत दोनों राष्ट्रों में लोकतांत्रिक संघवाद है। दोहरी सरकार भारत और अमेरिका दोनों में पायी जाती है। 1789 ई0 में अपना संविधान लागू करके अमेरिका एक संघीय गणराज्य राज्य बना, जबकि भारत 1950 में औपचारिक रूप से गणराज्य के रूप मं स्थापना हुई थी। भारत में राज्यों का प्रतिनिधित्व आनुपातिक रूप से किया जाता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी राज्यों में समान प्रतिनिधित्व है। अमेरिकी संविधान संकट काल में अपना स्वरूप नहीं बदल सकता, जबकि भारत का संविधान देश की सुरक्षा के लिए परिस्थितियों के अनुसार अपना स्वरूप बदल सकता है

इसका तात्पर्य है कि अमेरिकी संविधान पूरी तरह से संघीय है, जबकि भारत का संविधान अर्ध–संघीय है।

निष्कर्ष :

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत की संघवाद संरचना कुछ हद तक अलग है, लेकिन दोनों संरचनाओं ने अलग–अलग इतिहास और चुनौतियों के साथ प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया है। कुछ संघवादी विशेषता अमेरिका और भारत दोनों के लिए समान है, तो कई क्षेत्रों में भिन्न भी है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और भारतीय संघवाद दोनों बहुत लोकप्रिय है और दोनों ही कुछ रूकावटों के बावजूद भी सफल रहे है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. गेना, सी0बी0 : तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाए, विकास पब्लिशिंग हाऊस, तृतीय पुनर्मुद्रण 2003, पृ0–511
2. राय, गांधी जी : तुलनात्मक शासन एवं राजनीति, भारती भवन, पटना–2007, पृ0–158
3. प्रसाद, विरकेश्वर : तुलनात्मक शासन एवं राजनीति, 2012, पृ0–110–111
4. पाण्डेय, जय नारायण : भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद–2020, पृ0–29
5. राय, गांधी जी : तुलनात्मक शासन एवं राजनीति, भारती भवन, पटना–2007, पृ0–159–160
6. बसु, डी0डी0 : भारत का संविधान–एक परिचय, दसवाँ संस्करण, लेक्सिस नेक्सिस, 2013, पृ0–74
7. ऑस्टिन, ग्रेनविल : दि इण्डियन कोन्स्टीट्यूशन, 1966, पृ0–187
8. मौरिस जोन्स, डब्ल्यू0एच0 : गवर्नमेन्ट एण्ड पॉलिटिक्स आफ इण्डिया (लंदन, 1971), पृ0–150

9. भारत का संविधान, नवाँ संस्करण, सेण्ट्रल लॉं पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, 2015, पृ0—311—325

10. शर्मा, बृजकिशोर : भारत का संविधान, एक परिचय, दसवाँ संस्करण, पी0एच0 आई0 लर्निंग, 2014, पृ0—39

- https://www.academia.edu/31442932/COMPRATIVE_STUDY_OF_FERDERALISM_in_INDIA-AND-USA
- https://lawtimesjournal.in/Comparing-the-model-of-federalism-in-india-and-usa/

****